भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 573

गुरूवार, 7 दिसम्बर, 2023 / 16 अग्रहायण, 1945 (शक)

सामाजिक सुरक्षा के लाभ

573. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दशक में गिग कामगारों को दिए गए सामाजिक सुरक्षा लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गिग कामगार समूह में शामिल श्रमिकों की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में केन्द्र सरकार द्वारा गिग कामगारों एवं प्लेटफार्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर समुचित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है। संहिता की धारा 2(35) के अनुसार, 'गिग कामगार' का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कार्य करता है अथवा किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और इस प्रकार के पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर के कार्याकलापों से उपर्जन करता है।

संहिता में गिग और प्लेटफार्म कामगार से संबंधित उपबंध अभी लागू नहीं हुए हैं।

*****